भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4246

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों का समावेश

4246. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में राज्यवार और जातिवार शामिल जातियों का ब्यौरा और कुल संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 2014 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत जातियों को जोड़ने या हटाने के लिए क्या प्रमुख नीतिगत और विधायी प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत आयोग को प्रदत्त शक्तियों और कार्यों का विवरण क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्तमान में किसी राज्य या समुदाय की जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क): अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 2,479 है।

(ख): 102वें और 105वें संविधान संशोधन के तहत, अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में जातियों को जोड़ने या उससे उन्हें हटाने के लिए अनुच्छेद 342क को शामिल और संशोधित किया गया था।

(ग) और (घ): अनुच्छेद 338ख के खंड (5) के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का यह कर्तव्य होगा कि वह:

(i) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ii) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(iii) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्याकन करे;

(iv) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(v) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(vi) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

खंड (8) के प्रावधान के अनुसार, आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-

क. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
ख. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
ग. शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;
ङ. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
च. कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(ङ) और (च): अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल करना, हटाना और संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद से अब तक एनसीबीसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को 09 (नौ) परामर्श दिए हैं।

*****